म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /6716/MGNREGS-MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक 27/06/2015

प्रति,

संभागायुक्त, समस्त संभाग
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

जिला– भोपाल, बुरहानपुर, डिण्डोरी, खरगौन, रतलाम, सीहोर, शहडोल, अनूपपुर, खण्डवा एवं शिवपुरी

विषयः– महात्मा गॉधी नरेगा में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कार्य की कार्ययोजना की आयोजना के संबंध मे निर्देश।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश क्र. 11017 दिनांक 31.07.2014 के द्वारा विषय के संबंध में प्राप्त गाईडलाईन के आधार पर पूर्व में जारी पत्र क्र. 6196/22/वि–7/एनआरईजी, दिनांक 28.4.2006 के द्वारा जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कार्य की कार्ययोजना की आयोजना तैयार की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

1. उद्देश्यः–

1.1. राष्ट्रीय मार्ग, राज्यमार्ग, पीएमजीएसवाई, मुख्यमंत्री सड़क, अथवा ग्राम पंचायतों के पहुॅच मार्गों पर वृक्षारोपण किया जाकर पर्यावरण संतुलन करना।

1.2. वृक्षारोपण के माध्यम से मनरेगा के पात्र हितग्राहियों, जॉबकार्डधारियों की आय में वृद्धि कर उनकी आजीविका का सुदृढ़ीकरण।

1.3. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करते हुये वृक्षारोपण के माध्यम से सड़कों का क्षरण रोकना।

2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रारंभिक कार्यवाहीः–

2.1 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त सड़कों का चिन्हांकन संबंधित विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से किया जाना।

2.2 चिन्हित मार्गों पर ट्रांजेक्ट वॉक करके, उनकी लंबाई, वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध/उपयुक्त स्थलों की जानकारी प्राप्त कर स्थल की उपलब्धता अनुसार एक पंक्ति, दो पंक्ति अथवा तीन पंक्ति वृक्षारोपण लगाने पर निर्णय लेना।

2.3 सड़कों के किनारे रोड़ शोल्डर से हट कर उपलब्ध शासकीय भूमि में, जिससे सड़क की सुरक्षा प्रभावित न हो **खण्ड वृक्षारोपण** का कार्य पंक्ति वृक्षारोपण के साथ किया जा सकता है। **खण्ड वृक्षारोपण** हेतु भी ट्री पट्टा प्रदाय किया जा सकेगा।

2.4 वृक्षारोपण हेतु संबंधित निर्माण विभाग से समन्वय कर उन विभागों से सहमति प्राप्त करना।

2.5 चिन्हित मार्गों के निश्चित भाग को ट्री पट्टा प्रदाय हेतु निर्धारित करना तथा उसके लिये पात्र हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना।

2.6 प्रत्येक ट्री पट्टा प्रदाय वृक्ष मित्र पुरूष अथवा महिला को ग्रीन टी–शर्ट अथवा साड़ी के साथ ही वृक्ष मित्र टोपी प्रदाय किया जाना।

3. पौधों का चयन :–

3.1 पौधों का चयन पट्टा प्रदाय हितग्राही व ग्राम सभा की सहमति से उस क्षेत्र में सफल हो सकने वाली प्रजातियों में किया जावेगा, जो IRC:SP-21:2009 अनुसार उपयुक्त जोन का होगा।

3.2 उत्तरजीवितता व प्रबंधन को देखते हुए 2 से 3 वर्ष के पौधे रोपित किये जावे जिनकी ऊचाई क्रमशः 1 मीटर व 2 मीटर से कम नहीं होगी।

3.3 2 मीटर से अधिक (7–9 फीट) ऊँचाई के पौधें लगाने से पशुओं की पहुँच से बाहर होंगे व बांस के ट्री गार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण विकसित पौधा तेजी से बढेगा, फल शीघ्र प्राप्त होंगे एवं लगाये गए पौधों की उत्तरजीवितता 90 प्रतिशत से अधिक होगी साथ ही प्रति पौधा व्यय भी कम होगा।

मार्गदर्शी प्राक्कलन प्रति हितग्राही विभिन्न पद्धति अनुसार व्यय का आंकलन

पौधों का विवरण	लगाये जाने वाले पौधों की संख्या	प्रबंधन वर्ष	मजदूरी पर व्यय	प्रतिशत	सामग्री पर व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रति पौधा व्यय
1 से 1.5 मीटर (3.5–5.00 फीट) ऊँचाई के 2 वर्ष उम्र के पौधे	100	5 वर्ष	93710	60.50	61334	39.50	155044	1550
2 मीटर से अधिक (7–9 फीट) ऊँचाई के 3 वर्ष उम्र के	100	5 वर्ष	88351	60.50	57784	39.50	146135	1461
1 से 1.5 मीटर (3.5–5.00 फीट) ऊँचाई के 2 वर्ष उम्र के पौधे	200	5 वर्ष	108672	36.25	190809	63.75	299481	1497
2 मीटर से अधिक (7–9 फीट) ऊँचाई के 3 वर्ष उम्र के पौधे	200	5 वर्ष	97914	34.75	183668	65.25	281582	1407

(राशि रूपये में)

जिन ग्राम पंचायतों में 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात नियंत्रण में हैं, उन ग्राम पंचायतों में 200 पौधों का रोपण कर ट्री पट्टा प्रदाय किया जा सकेगा, 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात की जबाबदारी ग्राम पंचायत की होगी।

4. अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था :–

4.1 **मटका की उपलब्धता**– प्रत्येक पौधे की सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति हेतु मिट्टी के मटके पौधे की जड़ों के समीप लगाये जावे। कार्य स्वीकृत होते ही ग्राम पंचायत में अथवा आस–पास निवास करने वाले मनरेगा जॉबकार्ड धारियों से आवश्यकतानुसार मटको का निर्माण कराकर प्राप्त किया जावेगा।

4.2 **बांस के ट्री गार्ड की उपलब्धता–** पौधे की सुरक्षा हेतु स्थानीय स्तर पर बांस का काम करने वाले मनरेगा जॉबकार्ड धारियों परिवारों के माध्यम से बांस के ट्री गार्ड निर्मित कराये जावेंगे।

4.3 डीपीआईपी अथवा एनआरएलएम के स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी सहायक सामग्री क्रय की जा सकेगी।

4.4 स्थानीय स्तर पर उक्त सामग्री का निर्माण कराया जाने पर उक्त विशेष जाति के ग्रामीण जॉबकार्डधारी परिवारों की आजीविका सुनिश्चित होगी एवं अकुशल श्रम के अनुपात में वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर उक्त सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्यत्र से क्रय की जा सकेगी।

5. हितग्राहियों का चयन :–

5.1 हितग्राहियों के चयन के लिये मनरेगा अधिनियम के दृष्टिगत ट्री पट्टा हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा –

1. अनुसूचित जाति परिवार
2. अनुसूचित जनजाति परिवार
3. आदिम जनजाति परिवार
4. अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवार
5. अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार
6. ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं।
7. भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार।
8. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।
9. वन अधिकार अधिनियम 2006, (2 ऑफ 2007) अंतर्गत लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक।
10. लघु व सीमान्त कृषक (कृषि श्रण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित)

5.2 चयनित हितग्राहियों को ''वृक्ष मित्र'' ट्री पट्टाधारी के नाम से संबोधित किया जावेगा।

5.3 ऐसे हितग्राहियों के चयन में प्राथमिकता की जावेगी जिनके पास पानी परिवहन हेतु स्वयं की साईकिल उपलब्ध हो। अत्यंत गरीब हितग्राही के चयन की स्थिति में उसके द्वारा प्रथम भुगतान प्राप्त होने पर साईकिल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी, ऐसा लिखित आश्वासन प्राप्त किया जावे।

6. ट्री पट्टा प्रदाय की शर्तेः–

6.1 ट्री–पट्टा दिये जाने के लिये चिन्हित सड़कों के किनारे अथवा समीप में निवासरत मनरेगा के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवारों की भूमि होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

6.2 पात्र हितग्राही परिवार के सदस्य को सड़क किनारे लगाये जाने वाले पौधों का ट्री पट्टा निर्धारित शर्तो पर प्रदाय किया जावेगा। उन्हें उनके द्वारा लगाये गए पौधों से जीवन पर्यन्त – फल, पत्ती इत्यादि से प्राप्त आय का अधिकार होगा।

6.3 ट्री–पट्टा प्रदान करने हेतु शासकीय भूमि का स्वामित्व रखने वाले संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सक्षम होगे।

6.4 ट्री पट्टे में भूमि का स्वामित्व शासन का रहेगा, मात्र पौधे से फल, पत्ती आदि प्राप्त करने का अधिकार होगा जो कि पौधे के जीवित रहने की अवधि तक पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित हो सकेगा।

6.5 एक हितग्राही को न्यूनतम 100 पौधों एवं अधिकतम 200 पौधों का पट्टा दिया जा सकेगा। पट्टे की परियोजना अवधि पौध रोपण की दिनांक से प्रारंभ होगी पट्टे की परियोजना अवधि में हितग्राही परिवार वृक्षरोपण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं कर सकेगा।

6.6 पट्टाधारी को परियोजना अवधि में पूरे वर्ष कार्य में संलग्न रहकर कार्य करना होगा। जिसका प्रथम 100 दिवस का भुगतान मनरेगा अकुशल मद से तथा शेष दिवसों के लिये सामग्री मद से दिया जावेगा।

6.7 एनएचएआई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के कार्यो के लिये भी ट्री पट्टा मनरेगा जॉबकार्ड धारियों को दिया जा सकेगा। यह कार्य अभिसरण के माध्यम से कराया जावेगा, जिसमें सामग्री मद की राशि एनएचएआई राज्य रोजगार गारंटी मद में जमा करायेगा व मजदूरी का भुगतान मनरेगा योजना से किया जावेगा।

7. ट्री पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही :–

प्रदत्त ट्री पट्टा संबंधित हितग्राही द्वारा निम्न शर्तो में से किसी के भी उल्लघंन करने पर निरस्त किया जाकर नवीन हितग्राही को सौपा जा सकेगा –

7.1 एक्ट/निर्देशों के विरद्ध कार्य करने पर।

7.2 हितग्राही की ओर से भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश होने पर।

7.3 लगाये गये पौधों का प्रबंधन निर्देशों के अनुसार न करने पर।

7.4 प्रदाय भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा अन्य गतिविधि प्रारंभ करने पर।

7.5 भूमि को नुकसान पहुॅचाने अथवा मिट्टी खुदाई इत्यादि करने पर।

8. योजना क्रियान्वयन व लगाये गये पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करनाः–

8.1 प्रबंधन व मॉनीटरिंग हेतु रोडसाइड वृक्षारोपण कार्यों में ग्राम पंचायत में पूर्व से निर्मित मेटो की सहायता प्राप्त करनाः– वृक्षारोपण कार्य क्लस्टर के रूप में लिये जाने पर, 50 हितग्राही अथवा जॉवकार्डधारी एक ही ग्राम पंचायत में कार्य करने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से चयनित/निर्मित मेटों की सेवाएॅ प्रबंधन व मॉनीटरिंग कार्य हेतु ली जानी चाहिये। उक्त मेट को एक ही दिन में 40 श्रमिकों के कार्य करने पर सेमीस्किल्ड के रूप में 230 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। 40 से कम मजदूर काम करने पर आनुपातिक भुगतान किया जावेगा। मेट का पौधों को जीवित रखने में मदद करना, मजदूरी भुगतान हेतु समय पर मस्टर इशु कराना उनका भुगतान सुनिश्चित करना, समय पर सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करना, क्रियान्वयन एजेन्सी से सतत् संपर्क बनाये रखते हुये आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल निदान करना होगा। पूर्व से नियुक्त मेट द्वारा दायित्यों का निर्वाहन सफलतापूर्वक न करने की स्थिति में उसे पृथक करते हुये, चयनित हितग्राहियों में से 8 वीं पास व्यक्ति को नवीन मेट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

8.2 पट्टा प्राप्त हितग्राही को भुगतानः– हितग्राही को शर्तो के अनुरूप अपने दायित्वों को निर्वाहन करने पर पाक्षिक रूप से पौधों की जीवितता के परिणामों के आधार पर निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा –

जीवित पौधों की प्रतिशत्ता	सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन	भुगतान	भुगतान अवधि
1	2	3	4
90% से अधिक	पूर्ण करने पर*	पूरा भुगतान	प्रत्येक माह में
75% से अधिक व 90% से कम	पूर्ण करने पर*	आधा भुगतान	प्रत्येक माह में
75% से कम होने की स्थिति में	पूर्ण करने पर*	कोई भुगतान नहीं	
90% से अधिक	अंशतः करने पर#	आधा भुगतान	प्रत्येक माह में
75% से अधिक व 90% से कम	अंशतः करने पर#	चौथाई भुगतान	प्रत्येक माह में
75% से कम होने की स्थिति में	अंशतः करने पर#	कोई भुगतान नहीं	

***सौंपे गये दायित्व से तात्पर्य पौध रोपण, निदांई– गुडाई, थाला निर्माण, सिंचाई इत्यादि समस्त प्रबंधन कार्य परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्र.4 अनुसार किया जाना है।**

#सौंपे गये दायित्वों के निर्वाहन अंशतः होने पर भी पौधे जीवित रह सकते है किन्तु उनकी वृद्वि अथवा उपज प्रभावित होगी। ऐसे परिस्थिति में हितग्राही को आंशिक रूप से तालिकानुसार भुगतान किया जावेगा। साथ ही हितग्राही को परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

8.3 मजदूरी व सामग्री मद का भुगतान :–

8.3.1 पौधों को जीवित रखने के लिये संधारण हेतु समस्त किये गए कार्यों के लिये हितग्राही को 15 रु. प्रति पौधा प्रतिमाह जीवित रहने की स्थिति में किया जावेगा। इस प्रकार न्यूनतम 100 पौधों के लिये प्रतिवर्ष 18000 रूपये एवं अधिकतम 200 पौधों के लिये प्रतिवर्ष 36000 रुपये के हिसाब से परियोजना अवधि 5 वर्षों में क्रमशः 90000 व 180000 रूपये का भुगतान जॉबकार्डधारी के खाते में 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में किया जा सकेगा।

8.3.2 उक्त भुगतान में 100 दिवस (जॉबकार्डधारी के एफआरए श्रेणी के होने पर 150 दिवस) तक की राशि ''अकुशल श्रमिक मद'' तथा शेष राशि ''सामग्री मद'' अंतर्गत विकलनीय होगी।

8.3.3 डीपीआर में स्वीकृत समस्त सामग्री का क्रय क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जावेगा। बिल प्रस्तुत होने पर उपयंत्री द्वारा सत्यापन होने की स्थिति में क्रय की गई राशि का भुगतान सीधे प्रदायकर्ता के खाते में किया जावेगा।

8.3.4 भुगतान मनरेगा में संचालित ई–एफएमएस प्रणाली के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद द्वारा किया जावेगा।

8.3.5 पौधरोपण कराये जाने व ट्री गार्ड निर्माण तक की मजदूरी भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उसमें कार्य करने वाले जॉबकार्डधारियों के खाते में किया जावेगा।

8.3.6 पौधरोपण पश्चात् वृक्षारोपण की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु संधारण कार्य का भुगतान ट्री पट्टाधारी द्वारा के द्वारा किया जावेगा, जिसका भुगतान उसके खाते में पट्टे की शर्तों के तहत किया जावेगा।

9. पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्थाः–

9.1 मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों एवं मनरेगा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण पौधे, व अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था कार्य एजेन्सी, ग्राम पंचायत अथवा लाईन विभाग की देखरेख में की जावेगी। यह अनिवार्यता ध्यान रखा जावेगा कि आवश्यक सामग्री हितग्राही को समय पर उपलब्ध करा दी जावे व समय पर ही मजदूरी भुगतान की जावे, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/उद्यानिकी सहायक/परियोजना अधिकारी मनेरगा द्वारा की जावेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखित में अवगत कराया जावेगा।

9.2 हितग्राही की सहमति होने की स्थिति में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/17/2008–NREGA(UN)(PART-II) दिनॉक 31.07.2014 के बिंदु क्रमांक 10 (C-II) के निर्देशों के अनुक्रम में पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जा सकती है। बिल प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन व सत्यापन उपरांत राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक एकाउन्ट में बेन्डर के रूप में किया जा सकता है। पौधे एवं अन्य सामग्री की गुणवता की जवाबदारी हितग्राही की स्वयं की होगी।

10. पौधों की व्यवस्था :–

10.1 आगामी वर्ष में किन्हीं भी परिस्थितियों में अन्य किसी भी संस्था से पौधें क्रय नहीं किये जावेंगे शत–प्रतिशत पात्र हितग्राहियों व उनके द्वारा निर्मित स्वसहायता समूहों को स्वरोजगार, आजीविका सुनिश्चित करते हुए पौधें प्राप्त किये जावेंगे।

10.2 वर्तमान में रोपणी तैयार न होने से वर्ष 2015–16 हेतु परिषद से समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय रोपणियॉ, (उद्यान, वन, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र व कृषि विश्वविद्यालय की रोपणियॉ) एनएचएम रोपणी से पौधे क्रय किये जा सकेगे।

10.3 नर्सरियों की स्थापना पौध रोपण स्थलों के पास की जावेगी जहां कि समुचित सिंचाई व्यवस्था हो।

10.4 नर्सरी की सुरक्षा ईको फेंडली फेंसिंग, लिव फेंसिंग व वर्किंग शेड, बांस इत्यादि से व स्थायी फेंसिंग पात्र हितग्राहियों द्वारा स्वयं के संसाधन से किया जावेगा।

10.5 पात्र हितग्राही व अथवा स्व सहायता समूहों को पौध उत्पादन हेतु उपयंत्री एवं जिले में पदस्थ उद्यानिकी सहायक/सहायक संचालक उद्यान द्वारा डीपीआर तैयार की जावेगी। जिसके आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। पौध उत्पादन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत/उद्यानिकी/वन विभाग/स्वसहायता समूह हो सकेंगे।

10.6 उत्पादित पौधों का विक्रय शासकीय उद्यानिकी, वानिकी, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा जिला दर निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत दरो पर मनरेगा रोपणी से किया जावेगा।

10.7 शासकीय दर अनुसार विक्रय राशि में से मनरेगा रोपणी तैयार करने हेतु दी गई राशि को घटा कर शेष राशि का भुगतान पौध प्रदायगी के समय किया जावेगा।

11. पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी व्यवस्था :–

11.1 अधिकतम प्रति हितग्राही 20000 पौधें उत्पादित कराये जावेगें जिसमें 1.5–2.00 फीट ऊॅचाई के 10000 एक वर्षीय व 3.5–5.00 फीट ऊॅचाई के 5000 द्वि वर्षीय व 7–9 फीट ऊॅचाई के 5000 तीन वर्षीय डीपीआर स्वीकृति अनुसार उत्पादित कराये जा सकेंगे।

11.2 चयनित स्वसहायता समूह से अधिकतम 1 लाख पौधों का उत्पादन कंडिका 14.1 अनुसार आनुपातिक क्रम में कराया जा सकेगा।

11.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2–2.5 मीटर (7–9 फीट) ऊॅचाई के पौधों की आवश्यकता हेतु शासकीय नर्सरियों में वर्तमान में उपलब्ध छोटे पौधे नर्सरियों से शासकीय दरों पर क्रय कर उन्हें मनरेगा रोपणी में विकसित किये जा सकेंगे।

11.4 स्वसहायता समूह पौधों का उत्पादन एक निश्चित स्थल पर शासकीय भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में अथवा समूहों के सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक स्वयं की निजी भूमि पर आपसी बटवारा कर किया जा सके।

11.5 **बीजू पौधों का उत्पादन**–ट्री पट्टाधारी की मांग अनुसार बीजू पौधें जामून, महूऑ, करौंदा, कटहल, नीबू, देसी आम, देसी ऑवला, मूनगा, सीताफल, इमली, बेर, करंज, नीम इत्यादि का उत्पादन किया जावेगा। पौध उत्पादन हेतु गुणवत्ता युक्त बीजों की व्यवस्था शासकीय संस्थाओं अथवा उत्तम गुणवत्ता के मातृ वृक्षों का चयन कर स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी।

11.6 **कलमी पौधों का उत्पादन**–ट्री पट्टाधारी की मांग अनुसार कलमी पौधों का उत्पादन पूर्व से स्थापित नंदन फलोद्यान/उद्यानिकी विभाग द्वारा स्थापित हितग्राहियों के यहॉ – आम, अमरूद, नीबू, संतरा, मोसंबी, अनार, ऑवला,बेर, चीकू इत्यादि फलोद्यान में जिनमें कि उत्तम गुणवत्ता वाले फल आना प्रारंभ हो गए हो सत्यापन उपरांत उन्हीं के निजी भूमि पर उत्पादन प्रशिक्षण प्रदाय कर कलमी पौधों का उत्पादन कराया जावे।

11.7 उत्तम गुणवत्ता के फलों व मातृ वृक्षों का प्रमाणीकरण सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी सहायक मनरेगा, उपयंत्री व ग्राम रोजगार सहायक की समिति द्वारा किया जा सकेगा।

11.8 उपरोक्तानुसार विकसित रोपणी में उत्पादित पौधों का उपयोग मनरेगा की अन्य योजनाओं नंदन फलोद्यान, ग्रामवन, शैलपूर्ण, हरियाली चुनरी इत्यादि में किया जा सकेगा।

12. रोड साईड प्लांटेशन हेतु सिंचाई व्यवस्थाः–

12.1 समुचित सिंचाई व्यवस्था हेतु पानी परिवहन रिक्शा टंकी अथवा हाथ ठेला टंकी की व्यवस्था अथवा साईकिल में दूध परिवहन की भॉति व्यवस्था कर केनो/पीपा के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था अथवा ट्री पट्टाधारी की स्वयं की सिंचाई व्यवस्था।

12.2 पौधें के पास जल संग्रहण हेतु ट्रेंच का निर्माण।

13. कार्य एजेंसी का निर्धारणः–

13.1 ग्राम पंचायत अथवा शासकीय विभाग

13.2 ट्री पट्टाधारी हितग्राहियों से गठित स्वसहायता समूह

14. योजना में हितग्राही/ट्री पट्टाधारी को प्राप्त होने वाली आयः–
(योजना का आउटकम)

योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति 100 पौधे से

प्रजाति का नाम	5–8 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन किलो में प्रतिपौधा	100 पौधों से प्राप्त कुल औसत उत्पादन क्वींटल में	भाव औसत प्रति क्वींटल	कुल आय रूपये वर्ष में	ट्री पट्टाधारी को प्रतिमाह के हिसाब से प्राप्त आय	रिमार्क
आम	100–200	150	1000	150000	12500	प्राप्त आय में कमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती रहेगी
इमली	80–100	90	2000	180000	15000	
कटहल	500–800	650	500	325000	27083	
सहजन	50–60	55	1500	82500	6875	
अमरूद	80–100	90	700	63000	5250	
चीकू	40–50	45	1000	45000	3750	
जामुन	60–80	70	1000	70000	58333	
कैंथा	60–80	70	600	42000	3500	
बेल	50–60	55	1000	55000	4583	
महुआ	80–100	90	2000	180000	15000	
नीम	50–60	55	500	27500	2291	
करंज	40–50	45	1000	45000	3750	

15. मूल्यांकन कर्ता अधिकारीः–

15.1 पौध उत्पादन कार्य अत्यधिक तकनीकी होने के कारण जिले में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान अथवा उद्यानिकी सहायक द्वारा नर्सरी कार्यों का मूल्यांकन किया जावेगा।

15.2 रोड साईड पर लगाये गए पौधों की उत्तरजीविता/ट्री पट्टाधारी को सौपों गये के दायत्वों का निर्वाहन का भौतिक सत्यापन उपयंत्री द्वारा किया जावेगा।

15.3 मूल्यांकन अथवा भौतिक सत्यापन की पुष्टि एफटीओ जारी करने के पूर्व सहायक यंत्री, मनरेगा द्वारा की जावेगी।

16. मॉनीटरिंग कार्यः–

16.1 जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा **प्रत्येक माह** ट्री पट्टाधारक हितग्राहियों की बैठक का आयोजन सहायक यंत्री, उपयंत्री, उद्यानिकी अधिकारी मनरेगा, उद्यान व वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जावेगा जिसमें हितग्राहियों की कठिनाईयों का निराकरण कर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा।

16.2 जिला स्तर पर जनपद स्तरीय बैठकों की समीक्षा त्रैमासिक रूप से जिला कार्यक्रय समन्यक द्वारा की जाकर उदभूत होने वाली कठिनाठयों का निराकरण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावेगा। त्रैमासिक बैठकों के अलावा एक बैठक वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से आयोजित की जाकर वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जावे।

16.3 प्रत्येक बैठक में की गई कार्यवाही के आधार पर पालन प्रतिवेदन से मनरेगा परिषद भोपाल को अवगत कराया जावेगा।

उपरोक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कैलेण्डर परिशिष्ट–1 में दर्शित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रारंभिक तैयारी का समय पर्याप्त न होने से पृथक से कैलेण्डर तैयार किया गया जो परिशिष्ट–2 में दर्शित है। मनरेगा के एसओआर पर सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले पौधों एवं मनरेगा नर्सरियों में उत्पादित किये जाने वाले पौधों के मॉडल प्राक्कलन परिशिष्ट अ,

ब, स, द व य संलग्न है, जो कि पूर्णतः मार्गदर्शी व सांकेतिक है। प्रत्येक जिला आवश्यकतानुसार उद्यानिकी व वन विभाग के सहयोग से जिले की परिस्थिति अनुसार तैयार करा सकते है।

सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कार्य की कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व लगाये जाने वाले पौधों की उत्तरजीविततता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, उत्तरजीविततता की सुनिश्चितता/जिम्मेदारी निर्धारण उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराया जावे।

कृपया निर्धारित कैलेण्डर अनुसार कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– परिशिष्ट 1,2 एवं अ, ब, स, द, य।

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र./6717/MGNREGS -MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक27/06/2015

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, म0प्र0ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल ।
3. महाप्रबंधक, एन.एच.ए.आई. भोपाल।
4. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय भोपाल ।
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, म0प्र0ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल।
6. राज्य समन्वयक, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना भोपाल।
7. संचालक बांस मिशन मध्यप्रदेश
8. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला.....की ओर सूचनार्थ एव सड़क किनारे वृक्षारोपण की नवीन गाईडलाइन अनुसार उत्तरजीविततता सुनिश्चित करने की जिले द्वारा जिम्मेदारी लेने की सहमति देने पर पृथक से अनुमति प्रदाय की जा सकेगी।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला.....

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

परिशिष्ट–1

रोड साईड प्लांटेशन वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2016–17 हेतु

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**सड़को एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत वार पीएमजीएसवाय रोड की जानकारी एकत्रित करना	सितम्बर	पीआईयू–पीएमजीएसवाय / एन एचएआई / ग्रा.पं. / ज.पं. / जि.
1.2	रोड साईड वृक्षारोपण एवं पौध उत्पादन हेतु हितग्राही चयन उनको प्रदाय स्थल, प्रजातियों का चयन व प्रशिक्षण कार्य	अक्टूबर	पीआईयू–पीएमजीएसवाय / एन एचएआइ / ग्रा.पं. / जं.पं. / जि.पं / ग्रा.वि.वि. / वन / उद्यानिकी
1.3	चयन अनुसार वृक्षारोपण कार्य को ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल किया जाना।	अक्टूबर–नवम्बर	ग्रा.पं. / जं.पं. / जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	नवम्बर	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई	दिसम्बर–जनवरी	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.3	पॉलिथिन बैग में बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	फरवरी–मार्च	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.4	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य	मार्च–अप्रैल–मई	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.5	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे.	जून–जुलाई–अगस्त	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.6	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन बैग में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन कार्य।	सितम्बर से जून	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.

3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	फरवरी	चयनित हितग्राही / एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	मार्च	चयनित हितग्राही / एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	अप्रैल	चयनित हितग्राही / एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	मई	चयनित हितग्राही / एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून जुलाई अगस्त	चयनित हितग्राही / एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं. / वन व उद्यानिकी विभाग
4	**संधारण कार्य वृक्ष मित्र द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	चयनित ट्री पट्टाधारी / ग्रा.पं. / जं.पं.
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	चयनित ट्री पट्टाधारी / ग्रा.पं. / जं.पं.

परिशिष्ट–2

वर्ष 2015–16 हेतु रोड साईड प्लांटेशन वार्षिक कैलेण्डर

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**सड़को एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत वार पीएमजीएसवाय रोड की जानकारी एकत्रित करना	जून–जुलाई 2015	पीआईयू–पीएमजीएसवाय / एन एचएआई / ग्रा.पं. / जं.पं. /
1.2	हितग्राही चयन उनको प्रदाय स्थल, प्रजातियों का चयन व प्रशिक्षण कार्य	जून–जुलाई 2015	पीआईयू–पीएमजीएसवाय / एन एचएआई / ग्रा.पं. / जं.पं. / जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई व सीधे बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	जून–जुलाई–अगस्त 2015	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.3	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य	सितंबर–जनवरी 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.4	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे.	फरवरी–मार्च अगस्त 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
2.5	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन बैग में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन कार्य।	अप्रैल–जून 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.

3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी / ग्रा.वि.वि. / ग्रा.पं. / जं.पं.
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी / हितग्राही / आरडी / ग्रा.पं. / जं. पं.
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून 2015 जुलाई 2015 अगस्त 2015	चयनित एसएचजी / हितग्राही / आरडी / ग्रा.पं. / जं. पं. / वन व उद्यानिकी विभाग
4	**संधारण कार्य वृक्ष मित्र द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर 2015	चयनित ट्री पट्टाधारी / ग्रा.पं. / जं.पं.
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून 2016	चयनित ट्री पट्टाधारी / ग्रा.पं. / जं.पं.

पथवृक्षारोपण 3.5–5 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.2 कि.मी. (100 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....
ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....
प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ
चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....
वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति
कुल पौध संख्या – 100

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	3 श्रमिक (250 मी.^{2})	471	–	471		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	1200 रमी	157	50	207	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (नीम बगैरह) 0.60×0.60× 0.60 मीटर= 0.216 घन मी.	90.48प्रति घन मी. 19.54 प्रति गड्डा	100 गड्डे	1954	–	1954		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	100 पौधे		1000	1000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**100**	**314**	**295**	**609**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	50 किलो	–	330	330	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी. एग्रो, मार्केटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	25 किलो	–	445	445	"	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/100 पौधे	20 प्रति किलो	20 किलो	–	400	400	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	59 प्रति किलो	3 किलो	–	177	177	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	3.5–5 फिट ऊंचाई के 20 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित 50 प्रतिशत राशि	30 प्रति पौधा (15 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	120 पौधे	–	3600	3600	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3079
11	सुरक्षा हेतु ट्रायएंगल बासं के ट्री–गार्ड जाली साईज 7.5 से.मी. X7.5 से.मी. ऊँचाई 2.0 मी., चौडाई 0.45 मी. अथवा पौधों के चारो तरफ सी.पी.टी का निर्माण	260 प्रति पौधा	100	10,000	16000	26000	स्थानीय स्तर से	3086
12	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	2	–	200	200	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	100	–	1000	1000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	12 किलो		300	300		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	6 किलो		107	107		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	12 किलो		80	80	,,	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	800	16500		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्सा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	110	–	5500	5500	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	20	–	300	300	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	10	–	150	150	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
	महायोग –			**93710**	**55934**	**149644**		

मजदूरी पर व्यय	–	**93710**	(योजना का 60.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**55934**	(योजना का 36.00 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**5400**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**155044**	

पथवृक्षारोपण 7–9 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.2 कि.मी. (100 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....
ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....
प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ
चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....
वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति
कुल पौध संख्या – 100

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	3 श्रमिक (250 मी.^{2})	471	–	471		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	1200 रमी	157	50	207	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (आम, ऑवला, कटहल) 0.90×0.90× 0.90 मीटर= 0.729 घन मी. (तीन वर्षीय परिपक्व पौधे 30×40 cm की थैली में)	90.48प्रति घन मी. 65.95 प्रति गड्डा	100 गड्डे	6595	–	6595		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	100 पौधे		1000	1000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**100**	**314**	**295**	**609**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	50 किलो	–	330	330	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी.एग्रो, मार्कैटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	25 किलो	–	445	445	"	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/100 पौधे	20 प्रति किलो	20 किलो	–	400	400	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	59 प्रति किलो	3 किलो	–	177	177	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	7–9 फिट ऊंचाई के 10 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित	120 प्रति पौधा (50 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	110 पौधे	–	13200	13200	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3079
11	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा	100	–	2000	2000	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा
12	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	2	–	200	200	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	100	–	1000	1000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	12 किलो		300	300		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	6 किलो		107	107		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	12 किलो		80	80	"	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	800	16500		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	110	–	5500	5500	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	20	–	1000	1000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	10	–	500	500	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		**1000**	**1000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		**1000**	**1000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
	महायोग –			**88351**	**52584**	**140935**		

मजदूरी पर व्यय	–	**88351**	(योजना का 60.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**52584**	(योजना का 36.00 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**5200**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**146135**	

पथवृक्षारोपण 3.5–5 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.4 कि.मी. (200 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....
ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....
प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ
चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....
वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति
कुल पौध संख्या – 200

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	6 श्रमिक (250 मी.^{2})	942	–	942		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	2400 र. मी.	380	100	480	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (नीम बगैरह) 0.60×0.60× 0.60 मीटर= 0.216 घन मी.	90.48प्रति घन मी. 19.54 प्रति गड्डा	200 गड्डे	3908	–	3908		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	200 पौधे		2000	2000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**200**	**628**	**590**	**1218**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	100 किलो	–	660	660	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी. एग्रो, मार्केटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	50 किलो	–	890	890	"	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/200 पौधे	20 प्रति किलो	40 किलो	–	800	800	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	59 प्रति किलो	5 किलो	–	295	295	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	3.5–5 फिट ऊंचाई के 20 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित 50 प्रतिशत राशि	30 प्रति पौधा (15 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	240 पौधे	–	7200	7200	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3079
11	सुरक्षा हेतु ट्रायएंगल बासं के ट्री–गार्ड जाली साईज 7.5 से.मी. X7.5 से.मी. ऊँचाई 2.0 मी., चौडाई 0.45 मी. अथवा पौधों के चारो तरफ सी.पी.टी का निर्माण	260 प्रति पौधा	200	20000	32000	52000	स्थानीय स्तर से	3086
12	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	4	–	400	400	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	200	–	2000	2000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	24 किलो		600	600		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	12 किलो		214	214		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	24 किलो		160	160	"	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	17300	33000		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	220	–	11000	11000	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	40	–	600	600	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	20	–	300	300	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		**2000**	**2000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		**2000**	**2000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
	महायोग –			**108672**	**180309**	**288981**		

मजदूरी पर व्यय	–	**108672**	(योजना का 36.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**180309**	(योजना का 60.25 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**10500**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**299481**	

पथवृक्षारोपण 7–9 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.4 कि.मी. (200 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....
ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....
प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ
चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....
वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति
कुल पौध संख्या – 200

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	6 श्रमिक (250 मी.^{2})	942	–	942		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	2400 रमी	380	100	480	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (आम, ऑवला, कटहल) 0.90×0.90× 0.90 मीटर= 0.729 घन मी. (तीन वर्षीय परिपक्व पौधे 30×40 cm की थैली में)	90.48प्रति घन मी. 65.95 प्रति गड्डा	200 गड्डे	13190	–	13190		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	200 पौधे		2000	2000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**200**	**588**	**590**	**1178**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	100 किलो	–	660	660	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी. एग्रो, मार्केटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	50 किलो	–	890	890	"	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/200 पौधे	20 प्रति किलो	40 किलो	–	800	800	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	59 प्रति किलो	6 किलो	–	354	354	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	7–9 फिट ऊंचाई के 10 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित	120 प्रति पौधा (50 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	220 पौधे	–	26400	26400	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3079
11	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा	200	–	4000	4000	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा
12	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	4	–	400	400	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	200	–	2000	2000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	24 किलो		600	600		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	12 किलो		214	214		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	24 किलो		160	160	"	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	17300	33000		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	220	–	11000	11000	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फिलिंग	50 प्रति पौधा	40	–	2000	2000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	20	–	1000	1000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		**2000**	**2000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		**2000**	**2000**	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
	महायोग –			**97914**	**173668**	**271582**		

मजदूरी पर व्यय	–	**97914**	(योजना का 34.75 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**173668**	(योजना का 61.75 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**10000**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**281582**	

मॉडल प्राक्कलन एक्शन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 20000 पौध उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य ग्राम पंचायत का नाम –

प्रस्तावित खसरा नंबर रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 20000 (1 वर्षीय प्लान अंतर्गत 1.5 से 2 फीट ऊंचाई के– 10,000 पौधें)
(2 वर्षीय प्लान अंतर्गत 3.5 से 5 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)
(3 वर्षीय प्लान अंतर्गत 7 से 9 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)

नोट– 20000 पौधों के उत्पादन हेतु 25000 पौधे उत्पादन की तैयारी करना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	
	12×25 सेमी की थैली हेतु कुल 25000 थैली हेतु।						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	5 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 5000 थैली)	2765	–	2765	
	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की कय	8 रू रनिंग मीटर	200	–	1600	1600	
2	पॉलीथिन बैग कय (1 किलो में 200 बैग 12×25 सेमी आकार के) कुल 0.25 लाख बैग	196 प्रति किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
3	**गोबर की खाद** 0.25 लाख पौधेहेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
4	**मिट्टी का परिवहन** 0.25 लाख पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
5	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	

मॉडल प्राक्कलन एक्शन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 20000 पौध

उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य ग्राम पंचायत का नाम –

प्रस्तावित खसरा नंबर रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 20000 (1 वर्षीय प्लान अंतर्गत 1.5 से 2 फीट ऊंचाई के– 10,000 पौधें)
(2 वर्षीय प्लान अंतर्गत 3.5 से 5 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)
(3 वर्षीय प्लान अंतर्गत 7 से 9 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)

नोट– 20000 पौधों के उत्पादन हेतु 25000 पौधे उत्पादन की तैयारी करना प्रस्तावित

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	
	12×25 सेमी की थैली हेतु कुल 25000 थैली हेतु।						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	5 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 5000 थैली)	2765	–	2765	
	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइकोन 1.2 मी चौडाई की कय	8 रू रनिंग मीटर	200	–	1600	1600	
2	पॉलीथिन बैग कय (1 किलो में 200 बैग 12×25 सेमी आकार के) कुल 0.25 लाख बैग	196 प्रति किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
3	**गोबर की खाद** 0.25 लाख पौधेहेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
4	**मिट्टी का परिवहन** 0.25 लाख पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
5	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	

11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1.0 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	200 प्रति किलो	1 किलो	–	200	200	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉय कंट्रोनल**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	**अमरूद, नीबू, आम, कटहल, ऑवला, बेर, सीताफल, मूनगा, महूऑ , जामून, इमली, करंज, नीम, जंभीरी, रंगपुर लाईम इत्यादि हेतु बीज का कय**	मांग अनुसार	–	–	8000	8000	
21	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरना (12×25 सेमी बैग सितंबर 2014 माह में)	66 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति सैकडा	0.25 लाख	16500	–	16500	
22	**पॉलीथिन बैगों में बीज की बुआई बीज उपचार सहित/ क्यारियों में बीज की बुआई**	6.6 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति हजार	0.25 लाख	1650	–	1650	
	पॉलीथिन बैगों का स्थान परिवर्तन माह मार्च 2014 माह में	157 प्रति श्रमिक	25 श्रमिक	3925		3925	
23	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (अक्टूबर से जुलाई तक लगातार 10 माह)	57305	–	57305	
24	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	स्प्रेयर पंप	1200	1	–			
	गेंती	150	2	–			
	फावडा	100	2	–			
	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	4	–			
	सिकेटियर	200	1	–			
	हजारा मय नोजल	200	2	–			
25	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
26	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	25 पैसे प्रति पौधा	10000	2500	–	2500	

	प्रथम वर्ष का योग			**85445**	**49938**	**135383**	उपरोक्तानुसार एक वर्ष में 6.76 रु. प्रति पौधा व्यय से 1.5–2 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 10000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 10000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।
	द्वितीय वर्ष पर व्यय						
	20×30 सेमी की थैली हेतु कुल 10000 थैली 3.5–5 फीट ऊँचाई के पौधे उत्पादन पर 12500 पौधें उत्पादित किया जाना व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 2000 थैली)	3871	—	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	224	—	1798	1798	
3	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 100–120 बैग 20×30 से.मी. आकार के) कुल 12500 बैग	196 रू किलो	1.25 क्विंटल	—	24500	24500	
4	**गोबर की खाद** 12500 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	—	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 12500 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	—	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	—	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	—	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	—	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	—	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	—	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	—	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	—	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	—	264	264	

20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 12×25 सेमी बैग में तैयार पौधों को 20×30 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2015 माह में)	92 पैसे प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस प्रति सैकडा	12500	11500	—	11500	
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख बडिंग, ग्राफ्टिंग सहित लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2016 तक)	57305	—	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	—	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	50 पैसे प्रति पौधा	5000	2500	—	2500	
	महायोग–			**75976**	**42100**	**118076**	उपरोक्तानुसार दो वर्ष में 18. 56 रु. प्रति पौधा व्यय से 3.5–5 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 5000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 5000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।
	तृतीय वर्ष पर व्यय						
	30×40 सेमी की थैली हेतु कुल 5000 पौधे उत्पादन हेतु 6250 पौधों की तैयारी 7–9 फीट ऊँचाई पर व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 1000 थैली)	3871	—	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की कय	8 रू रनिंग मीटर	224	—	1798	1798	
3	पॉलीथिन बैग कय (1 किलो में 40–50 बैग 30×40 से.मी. आकार के) कुल 6250 बैग	196 रू किलो	1.5 क्विंटल	—	29400	29400	
4	**गोबर की खाद** 6250 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	—	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 6250 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	1600	1600	3200	
6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	—	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	445	445	

9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	–	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 20×30 सेमी बैग में तैयार पौधों को 30×40 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2016 माह में)	1.5 रु.प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस प्रति सैकडा	6250	9375	–	9375	
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2017 तक)	57305	–	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	1 रु. प्रति पौधा	5000	5000	–	5000	
	तृतीय वर्ष का योग–			**77151**	**47800**	**124951**	उपरोक्तानुसार तीन वर्ष में 43.55 रु. प्रति पौधा व्यय से 7–9 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जो सभी मनरेगा योजना में प्रदाय किये जावेगें
	महायोग–			**238572**	**139838**	**378410**	

मजदूरी पर व्यय – 238572 (योजना का 61.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय – 139838 (योजना का 35.5 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय – 13500 (योजना का 3.5 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार
कुल व्यय – **391913**

मनरेगा रोपणी से पात्र हितग्राहियों, स्वसहायता समूह एवं शासकीय रोपणियों को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	अगले वर्ष उत्पादन हेतु उपयोग	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
एक वर्षीय (1.5–2 फीट)	6.76	20000	10000	10000	13.50	6.76	6.74	67400	प्रथम वर्ष में प्राप्त
दो वर्षीय (3.5–5 फीट)	18.56	10000	5000	5000	30.00	18.56	11.44	57200	द्वितीय वर्ष में प्राप्त
तीन वर्षीय (7–9 फीट)	43.55	5000	–	5000	100.00	43.55	56.45	282250	तृतीय वर्ष में प्राप्त
योग–	–	–	15000	20000	–	–	–	406850	

शैलपर्ण/ग्रामवन/सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हेतु शासकीय भूमि का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पचांयत.....के वृक्षारोपण प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि खसरा नं.....रकवा.....हैक्टेयर न.....का मौके पर जाकर एवं रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त जमीन पूर्णतः शासकीय भूमि है, किसी भी प्रकार का विवाद इत्यादि नहीं है, साथ ही अतिक्रमण से मुक्त है, किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। उक्त शासकीय भूमि वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

प्रमाणीकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

सरपंच	सचिव	पटवारी	सहायक उद्यानिकी मनरेगा
ग्राम पचांयत.....	.ग्राम पचांयत.....	हल्का न.....	जिला.....

कार्यालय ग्राम पंचायत .....जनपद पंचायत .....जिला.....

वृक्षारोपण कार्य का नाम – .....

प्रस्तावित स्थल का नाम – .....

/ / प्रमाणीकरण / /

1. कार्य पूर्णतः नवीन है।
2. विगत 07 वर्षों से प्रस्तावित स्थल पर किसी मद से कोई कार्य नही हुआ है।
3. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः सामुदायिक मूलक एवं जनहित में आवश्यक है।
4. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः शासकीय भूमि पर प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायत के प्रोस्पेक्टिव प्लान में शामिल है।
6. प्रस्तावित कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में निहित दिशा निर्देशों के तहत संपादित कराया जावेगा एवं भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावेगा।
7. ग्राम पंचायत प्रमाणित करती है कि, सामुदायिक मूलक वृक्षारोपण कार्य हेतु ग्राम पचांयत/शासकीय भवनो के आस–पास एवं सड़क के दोनो तरफ भूमि उपलब्ध है एवं प्रस्तावित कार्य हेतु उपयुक्त है, तकनीकी स्वीकृति प्रदाय हेतु प्रमाण पत्र लेख किया गया है।
8. ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी से सामुदायिक मूलक कार्य हेतु दस्तावेज प्रमाणित करा लिये गये है।
9. ग्राम पंचायत तकनीकी स्वीकृति अनुसार सभी कार्य समय पर पूर्ण कर योजना सफल बनायेगी एवं लगाये गये पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास करेगी।
10. वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल जनपद पंचायत/जिला पंचायत को सूचना देकर निदान करायेगी।

उपरोक्त वर्णित बिन्दु प्रस्तावित कार्य हेतु पूर्णतः जॉच परख लिये है एवं सत्य है व अनुबंध अनुसार सभी शर्तों का पालन करने को हितग्राही व सरपंच/सचिव सहमत है।

उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी भ्रामक एवं असत्य होने पर में श्री ....सरपंच एवं श्री..... सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

सरपंच
ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

सचिव
ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत .....

उपयंत्री
जनपद पंचायत.....

तकनीकी प्रतिवेदन

1	सामुदायिक मूलक कार्य का नाम	वृक्षारोपण कार्य
2	कार्यस्थल का नाम	
3	ग्रम का नाम	
4	ग्राम पंचायत का नाम	
5	क्रियान्वयन एजेन्सी	
6	स्वीकृत वर्ष	
7	मद	एन.आर.ई.जी.एस.
8	अनुमानित लागत	
9	स्वीकृति अधिकार	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/सहा.संचालक उद्यान, एनआरईजीएस
	तकनीकी अधिकार	सहायक संचालक उद्यान/सहायक यंत्री एनआरईजीएस
	प्रशासकीय अधिकार	जिला कार्यक्रम समन्वयक
10	दर	एनआरईजीएस. की प्रचलित की अनुसूची दिनांक .... से स्वीकृत एवं जिला दर निर्धारण समिति जि.पं. ... द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक ..... से प्रभावशील टास्क दरें एवं समय–समय पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दरें।
11	आवश्यक्ता	वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं जॉबकार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उनकी आय मे वृद्धि करना।
12	निरीक्षण प्रतिवेदन	ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व प्रमाणीकरण अनुसार एवं स्थल अवलोकन।

सहायक संचालक (उद्यान)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला पंचायत– ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ग्वालियर